मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ. 5-4/93/9/1

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 93

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय.—गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टीका निर्धारित समयावधि में संसूचित की जाना.

सन्दर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 767/1871/काप्रसु/11/84, दिनांक 29-11-1984.

गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टीकाएं बिना विलम्ब के संसूचित करने तथा इन प्रतिकूल अभ्युक्तियों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों पर समयसीमा में कार्यवाही करने के संबंध में इस विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं इस विभाग के निर्देश क्रमांक 767/1871/काप्रसु/1/84, दिनांक 29-11-84 के पेरा एक में गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीकाएं प्राप्ति के दिनांक से तीन माह में संबंधित को संसूचित किये जाने का प्रावधान किया गया था.

2. प्रायः यह देखने में आया है कि गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीकाओं को निर्धारित समयावधि में संबंधित को संसूचित नहीं की जाती है और अधिकांशतः विभागों द्वारा संदर्भित ज्ञाप में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है. इस परिपाटी को उचित नहीं कहा जा सकता है.

3. अब पुनः दोहराया जाता है कि गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्ति के दिनांक से तीन माह की निर्धारित अवधि में गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीका होने की स्थिति में प्रतिकूल टीका संबंधित को संसूचित की जाये. जिस कार्यालय में गोपनीय प्रतिवेदन रखे जाते हैं उस कार्यालय प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टीका संबंधित को निर्धारित समयावधि में संसूचित कराने एवं प्रतिकूल टीका के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण की तत्काल कार्यवाही करावें.

4. प्रतिकूल टीका संसूचित करने में यदि विलंब हुआ हो, तो विलम्ब से टीका संसूचित करने का पूर्ण औचित्य बताते हुए सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त करनी चाहिये, न कि प्रतिकूल टीका को अस्तित्वहीन मानकर प्रकरण समाप्त करने की प्रवृत्ति अपनाना चाहिये.

हस्ता./-
(ओमप्रकाश मेहरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.